

प्रपत्र-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण-

शम्भू की चौकी से ददउ-पजिया-बनसार दुरउ तक
विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु
1.8536 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

शासनादेश संख्या 1398/III-2/06-17 (प्रा०आ०)
/2006 दिनांक 29/08/2005 तथा
2558/111-/07-17 (प्रा०आ०)/06 दिनांक 25.09.06
संलग्नक- 7 पर संलग्न हैं।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि -
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत। -

162.40 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने -

स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना
एवं का औचित्य पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये -
जाने के लिए)

उक्तानुसार।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की -
संभावना है।

कृषि में वृद्धि होगी जिससे रोजगार पैदा होंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
एवं विवरण:

स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना
पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या -

कोई नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के -
परिवारों की संख्या

कोई नहीं।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने -
के लिए)

आवश्यकता नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 -
के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके -
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्नक-

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण -
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न हैं।

दिनांक.....

स्थान.....

सहायक अभियन्ता

अ० खण्ड लो०नि०वि०,
सहिया।

अधिशाली अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०,
सहिया।

प्रपत्र-2.1

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान- शम्भू की चौकी से ददउ-पजिया-बनसार तुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र -

उत्तराखण्ड

ii) जिला-

देहरादून

iii) वन प्रभाग-

चकराता वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.8536 है०

v) वन की कानूनी स्थिति

निर्दिष्ट वन क्षेत्र में

vi) हरियाली का घनत्व

0.16 0.20

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि

उक्त मोटर मार्ग निर्माण में चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल बाधित वृक्षों की सं० 500 है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए

viii) भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

नहीं है

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

4 किमी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)

नहीं

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

नहीं

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

हां प्रस्तावित वन क्षेत्र में नहीं है

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

संलग्न है,

.....2.....

प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है,

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

4,81,936/-

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्यय।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

3088 व.किमी
2116.91 व.किमी

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

673.61 है०

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

671.04 है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। इस मार्ग निर्माण से स्थानीय जमीन को मातृमृत परिवेष्ट एवं उनकी कार्य उपकरणों के स्थानीय मोठा तथा आवागमन हेतु उक्त मार्ग निर्माण की सुरुषी की जाती है।

दिनांक..... 2015

स्थान..... जेकरावा

उप-प्रमुख वन अधिकारी
जेकरावा वन प्रभाग
जेकरावा

हस्ताक्षर
सरकारी मोहर
जेकरावा वन प्रभाग
जेकरावा जेकरावा

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3
भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4
भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :



हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर